B-2
L-6
Polity

प्रस्तावना

- प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय, दर्शन अथवा एक स्वरूपरूप भी कहा जाता है, जिसका विस्तृत रूप ही संविधान है।

- संविधान के 22 भाग, प्रस्तावना का ही विस्तार है और प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया। सोवियत संघ में समाजवाद को प्राथमिकता दी गयी थी, जबकि अमेरिका में उदारवादी विचारधारा को सर्वाधिक महत्व दिया गया था।

- संविधान में गाँधीवादी मान्यताओं को भी शामिल किया गया है क्योंकि अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान है। सोवियत संघ में आर्थिक समानता पर बल दिया गया लेकिन आजादी और अधिकारों का दमन

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

कर दिया गया।

• भारतीय संविधान में मूल अधिकार उदारवादी विचारधारा के परिचायक हैं व लोकतांत्रिक - गणतांत्रिक शासन उदारवाद के ही घटक हैं। पंथनिरपेक्ष शासन भी उदारवादियों ने ही अपनाया परन्तु निदेशक तत्व के भाग में समाजवादी विचारधारा को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

* प्रस्तावना की प्रकृति:-

अवाद्योग्य
⇓
किसी विधि/नीति को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

Non - forcible (गैरबाध्यकारी/अधिकारविहीन)
⇓
न्यायालय, प्रस्तावना को लागू करने के लिए कार्यपालिका या पुलिस को कोई आदेश नहीं दे सकती।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES

- प्रस्तावना न तो बाध्यकारी है और न ही वाद योग्य है लेकिन प्रस्तावना संवैधानिक आदर्श / नैतिकता है, जो सामाजिक नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। (नवतेज सिंह जौहर वाद)

- सामाजिक नैतिकता में परम्पराएं, प्रथाएं शामिल है जो स्वतंत्रता, समानता जैसे संवैधानिक नैतिक आदर्शों के प्रतिकूल है।

- प्रस्तावना के अलावा संविधान के मूल अधिकार निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य में भी संवैधानिक नैतिकता के आधार विद्यमान है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यदि नागरिक अच्छे और परिवान हो जाए तो बुरा संविधान भी अच्छा बन जाता है तथा यदि नागरिक बुरे हो तो अच्छा संविधान भी बुरा बन जाता है।

- व्यापक रूप में संवैधानिक नैतिकता, संविधान के प्रत्येक भाग और अनुच्छेद में अंतर्निहित है क्योंकि यदि कोई संवैधानिक

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, तो यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए राज्यपाल, स्पीकर यदि अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करे तो यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है।

प्रश्नः- प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वे वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय हैं?

प्रश्नः- संविधान की व्याख्या करने में और उसके उद्भव को निर्देशित करने विशेषकर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में प्रस्तावना की क्या भूमिका है?

प्रश्नः- संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना का विस्तार ही संविधान है। ठोस उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नः- प्रस्तावना में सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के बीच जो बेहतरीन संतुलन

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

स्थापित किया गया है, क्या वह उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के वर्तमान दौर में प्रासंगिक है?

प्रश्नः- प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं, अपितु संवैधानिक नैतिकता का उदाहरण है। स्पष्ट कीजिए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR